न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **01/2019** आवंटन निरस्ती

श्री शंकर पिता स्व.श्री मावजी मीणा निवासी पडुणा, तह.गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता श्री उदयलाल जी सुयल निवासी 2/5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धनविलास, उदयपुर (राज.)
2. श्री शंकर पिता नगजी उर्फ नानजी मेघवाल निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जमना बाई पत्नी स्व.रतनलाल मेघवाल निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री बाबुलाल पुत्र स्व. रतनलाल मेघवाल निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. रतनलाल मेघवाल निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री रमेश उर्फ कन्नु पुत्र रतनलाल मेघवाल निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री भैरा पिता मावजी मीणा, निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री पांचा पिता मावजी मीणा, निवासी पडुणा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
9. श्री चुन्नीलाल पिता मावजी मीणा, निवासी पडुणा, तह.गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. तहसीलदार गिर्वा भु स्वामी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 (अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956) वास्ते आवंटन आदेश दिनांक 09.12.1978 एवं 28.12.1978 सबडिवीजनल ऑफीसर उदयपुर का निरस्त करने

उपस्थितः 1. श्री मन्नाराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मनोज कुमार बागोरिया अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–27.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी सं. 2 से 6 के पूर्वाधिकारी नंगजी उर्फ नानजी पिता वगता मेघवाल को दिनांक 09.12.1978 को भू आवंटन कमेठी द्वारा ग्राम पडुणा की आराजी सं. 2290 में से दो बीघा बिलानाम भूमि जांच पडताल किये बिना ही आवंटित की गई। आवंटन आदेश से नगजी पिता वगता मेघवाल के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई। इस भूमि के हाल आराजी नं. 7285 रकबा 0.4600 हे. है जो राजस्व ग्राम पाटिया के रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा आवंटन से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 7, 8, 9 के पिता मावजी मीणा का चला आ रहा था जो निरन्तर चला आ रहा है। उक्त भूमि पर नंगजी मेघवाल का कब्जा नहीं होने से नंगजी मेघवाल ने कब्जेदार मावजी मीणा को दिनांक 24.11.1980 को 7,000/– नकद लेकर बेच दी जिसका बेचान नामा बही में पंचो के सामने हांजा मीणा से लिखवा दिया। बैचान वाले नंगजी तथा गवाह सोमा के हस्ताक्षर है, होमा, रतना, धन्ना, नाथु आदि के अंगूठा निशानी है। नंगजी पिता वगता मेघवाल के नाम दर्ज गैर खातेदारी भूमि वगता को बेचने का अधिकार था। आवंटी अनुसूचित जाति का व्यक्ति था जबकि खरीददार अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था जिसे कानूनन भी अधिकार नहीं था। इस आवंटी भूमि पर सन 1978 से पूर्व मानजी मीणा का ही कब्जा था जो उनकी मृत्यु के बाद हिस्से के अनुसार उनके पुत्र शंकर का कब्जा रहा। कालान्तर में आवंटी नंगजी की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों द्वारा दिनांक 26.03.2002 को गणेशलाल खटीक को विक्रय कर दी। इस भूमि में से करीब 0.2000है. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम अवाप्त हुई एवं शेष 0.2100 है. भूमि को आबादी में परिवर्तन करवाया, शेष रकबा 0.0500 है. खातेदार गणेश के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी व उसके भाईयों द्वाराएक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 209 के अन्तर्गत खातेदारी की घोषणा वास्ते निषेधाज्ञा हेतु उप जिला कलक्टर गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां

से दिनांक 17.10.16 को यह आदेश दिया गया कि पूर्वाधिकारी नंगजी उर्फ नानजी पिता वगता मेघवाल ने वादीगण के पूर्वाधिकारी मावजी मीणा के मध्य इकरार नामा हुआ था एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी वादीगण एवं उसके पूर्व वादीगण के पूर्वाधिकारी मावजी मीणा का कब्जा चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन किया जाना साबित होता है। जिस कारण वाद खारीज किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें। जिसकी अपील किसी के द्वारा नहीं की गई। पटवारी द्वारा कब्जा सिपुर्दगी के कागज तैयार किये गये थे वे सही नही थे। वास्तविक कब्जा मौके पर आवंटी नंगजी का कभी नहीं रहा। नियम 14 के पेरा 8(ख) अनुसार खातेदार की स्थिति में आवंटित भूमि किसी भी प्रकार से अंतरित करने का प्रावधान नहीं है। विरासत का नामान्तकरण भी बिना मौके की जांच किये बगैर कर दिया गया। विक्रय पत्र का नामान्तकरण भी बिना स्वामित्व एवं बिना कब्जे के किया है। जो अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही भी अवैध हैं। प्रार्थी भूमिहीन आदिवासी किसान है। विगत 45 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी व उनके पूर्वाधिकारी काबिज है। जिसके कारण नियमानुसार प्रार्थीगण इस भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी है। भू स्वामी तहसीलदार गिर्वा आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे विपक्षी सं. 10 बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 09.12.1978 आवंटन सलाहकार समिति एवं आवंटन आदेश दिनांक 28.12.1978 उप जिलाधीश उदयपुर का साबिक आराजी नं. 2290मी रकबा 2 बीघा ग्राम पडूणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर आवंटी नगजी उर्फ नानजी पिता वगता जी मेघवाल के नाम का निरस्त किया जावे तथा उसके बाद वादग्रस्त भूमि के बारे में की गई समस्त कानुनी कार्यवाही प्रक्रिया व आदेश गैरखातेदारी से खातेदारी घोषित करने तथा विरासत का नामान्तकरण एवं नगजी के वारिसो द्वारा विपक्षी सं. 1 को किया गया विक्रय तथा विपक्षी द्वारा वादग्रस्त भूमि का भाग आबादी में परिवर्तित कराने के सभी अवैध होने से निरस्त किये जावे तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा आंवटित अथवा नियमन करने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पडूणा तहसील गिर्वा की आराजी नं. 7285 जो साबिक नं. 2290 रकबा 2 बीघा का आवंटन नंगजी पिता वगता मेघवाल को दिनांक 09.12.78 को हुआ जिस पर कब्जा प्रार्थी के पिता मावजी मीणा का 1978 से पूर्व का है। आवंटी नंगजी की मृत्यु के बाद विरासत से उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिनके द्वारा विपक्षी सं. 1 गणेश पिता उदयलाल खटीक को विक्रय कर दी। इस संबंध में प्रार्थीगणों द्वारा एक घोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत किया जहा पर लम्बित समय के बाद दावा को खारीज कर धारा 175 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार गिर्वा को आदेश दिया गया। जिसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की गई। प्रार्थी इस अवधि में लम्बी बिमारी से पीडित रहा। इसलिए अपील नहीं की गई। उसके बाद उचित कानूनी परामर्श के बाद यह आवंटन आदेश निरस्ती हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। भू आवंटन निरस्ती के प्रार्थनापत्र पेश करने में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है फिर भी देरी होने का उचित व जायज कारण होने से देरी को माफ करने का यह प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत है। जिसे स्वीकार किया जाकर भू आवंटन निरस्त करने के प्रार्थनापत्र की देरी को माफ किया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। शेष विपक्षी 2 से 9 तक बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 05.11.19 को अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पडुणा के आराजी नं. 2290 रकबा 2 बिघा भूमि दिनांक 09.12.1978 को नंगजी पिता वगता मेघवाल को आवंटन हुई । परन्तु उक्त आवंटन मौके की बिना जांच किये ही कर दी गई। जबकि आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर मावजी मीणा का कब्जा था। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व गांव पाटिया में होकर नये साबिक नं. 7285 रकबा 0.4600हे. है। मावजी मीणा का दिनांक 01.04.91 को मृत्यु होने से भाईयो के हिस्सों अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि मावजी के पुत्र शंकर मीणा के हिस्से

में आने से वर्तमान में शंकर मीणा का कब्जा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर मावजी मीणा का कब्जा होने से आवंटी नंगजी पिता वगता मेघवाल द्वारा दिनांक 24.11.80 को उक्त भूमि 7000/– में कब्जेदारी मावजी मीणा को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय नामा आपसी लिखा पढी से पंचों के समक्ष सम्पादित किया गया। परन्तु चूंकि कब्जेदारी जनजाति का व्यक्ति है एवं आवंटी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इसलिए उक्त विक्रय विलेख कानूनन अवैध होने से इस विक्रय विलेख के आधार पर वादग्रस्त भूमि क्रेता मावजी मीणा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुई। परन्तु कब्जा मावजी मीणा का ही रहा। राजस्व अभिलेख में नंगजी पिता वगता मेधवाल का नाम चलता रहा। आवंटी नंगजी पिता वगता मेघवाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों द्वारा इस भूमि को विपक्षी सं. 1 को विक्रय कर दी। इस दरमियान दिनांक 12.11.2001 को प्रार्थी द्वारा एक घोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां प्रस्तुत किया। जहां से निर्णय दिनांक 17.10.16 को यह निर्णय पारित किया गया कि उक्त भूमि पर तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर मावा एवं उसके वारिसान का कब्जा होना बताया एवं उक्त भूमि को आवंटी नंगजी मेघवाल द्वारा मावा को विक्रय किया जाना बताया। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन होना माना। तहसीलदार गिर्वा को निर्देश दिया गया कि अधिनियम की धारा 175 का सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील नहीं की गई। उक्त भूमि में से 0.2000 हे. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त कर ली गई है, 0.2100 हे. भूमि आबादी में परिवर्तन करवादी गई है, 0.0500 हे. भूमि खातेदार के नाम दर्ज है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी अपने प्रकरण में 17.10.16 तक प्रार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारियों का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना माना है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा भी अभी तक धारा 175 के तहत कार्यवाही किया जाना प्रार्थी की जानकारी में नहीं आया है। इसलिए प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के बारे में अपने अधिकारों के बारे में कानूनी उपचार इस प्रार्थनापत्र के जरिये न्यायालय से प्राप्त करने के लिए ठोस आधारो पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाये। अपने कथनो की ताईद में DNJ (Raj)Page 535 Para 16, rrt 2015 (2) Page 790 Para 11,12 न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की है।

अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र के संबधं में निवेदन किया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.10.16 के बाद में असाध्य बीमारी से ग्रस्त होने के बाद में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। परन्तु ठीक होने पर कानूनी जानकारी प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। कानूनन आवंटन निरस्ती के प्रार्थनापत्र पेश करने में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। फिर भी देरी होने का उचित व जायज कारण होने से देरी को माफ किया जाकर प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.12.78 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नंगजी पिता वगता मेघवाल को आराजी नं. 2290 मे से 2 बीधा भूमि का आवंटन हुआ था जो उनकी मृत्यु पर उनके वारिसानो के नाम पर दर्ज होकर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। आवंटी नंगजी के वारिसानों द्वारा दिनांक 21.09.2001 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से मूल विपक्षी सं. 1 को विक्रय की गई। तब से उक्त भूमि पर स्वामित्व व कब्जा मेरा ही है। भूमि क्रय के पश्चात नियमानुसार नामान्तकरण हेतु पटवार हल्का पडुणा का प्रस्तुत किया गया। जहां से विधिवत जांच कर भूमि को मेरे नाम पर दर्ज किया गया। इस प्रकार विपक्षी सं. 1 बोनाफाईड परचेजर है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी मावजी मीणा या उनकी मृत्यु पर उनके वारिसानो का कब्जा नहीं रहा । मात्र विपक्षी सं. 1 को नुकसान पहुचाने की नीयत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। 41–42 वर्षो पश्चात आवंटी निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित कारण भी नहीं बताया गया। इस भूमि के संबधं में एक दावा घोषणा का उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस में विपक्षी सं. 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थी द्वारा जो धारा 5 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें जो कथन किये गये है। वह विश्वास योग्य नहीं है। कथनो के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। विपक्षी सं. 1 द्वारा जिस दिनांक से भूमि को क्रय किया गया है उस दिन से विपक्षी सं. 1 का निरन्तर निर्वाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। जिसका एक मात्र स्वामी है। जिसके स्वामित्व का प्रमाण पटवार मण्डल पडूणा द्वारा दिनांक 15.01.05 को जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अवधि पार होकर दुरभावना पूर्वक प्रस्तुत किया गया है जो खारीज किया जाना नितान्त आवश्यक है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की आवंटन पत्रावली सं. 40/78 का भी अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो व नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्र.सं. 146/12 वाद अनवानी भेरा बनाम रतना निर्णय दिनांक 17.10.16 का अध्ययन करने पर जाहिर आया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने उक्त आदेश में यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर मावा एवं उसके वारिसानों का कब्जा होना बताया है। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का होना बताया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पूर्वाधिकारी नानजी पिता भेरा मेघवाल व वादीगण के पूर्वाधिकारी मावा के मध्य इकरार नामा हुआ था एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का एवं उससे पूर्व वादीगण के पूर्वाधिकारी का चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन किया जाना साबित होता है। जिस हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपने उक्त आदेश में तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें। इस आशय की डिक्री भी जारी की गई।

प्रार्थीगण द्वारा अपने हस्तगत प्रार्थनापत्र में निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के बारे में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभी तक कोई कार्यवाही प्रार्थी की जानकारी में नहीं हुई है। इसलिए प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के बारे में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय का मत है कि यदि तहसीलदार गिर्वा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया होता तो प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। तहसीलदार गिर्वा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के आदेश की पालना भी नहीं की गई, जो भी एक विचारणीय प्रश्न है। अतः तहसीलदार गिर्वा को सख्त हिदायत दी जाती है कि वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के प्र.सं. 146/12 वाद अनवानी भेरा

बनाम रतना निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.16 की पालना 15 दिवस में आवश्यक रूप से कर न्यायालय को सूचना उपलब्ध करावें।

हस्तगत प्रकरण पर किसी आदेश की आवश्यकता इस न्यायालय से नहीं है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 175 के तहत पक्षकारान अपने साक्ष्य एवं सबूतों से अपने कथन साबित करावें।

अतः प्रकरण की कार्यवाही को इस स्तर पर बन्द किया जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की पत्रावली सं. 40/78 मय निर्णय की प्रति के प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.01.27 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: